

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या- पर्या०/वन-33/2018(खंड) 1710/प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक 11/11/25
संसद द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को बिहार राज्य में अंगीकृत करने हेतु संविधान के अनुच्छेद-252 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद् द्वारा क्रमशः दिनांक-25.03.2025 एवं 26.03.2025 को राजकीय संकल्प पारित किए गए हैं।

उक्त के आलोक में संसद द्वारा यथा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का 5वाँ) इस अधिसूचना की तिथि से ठीक उसी रूप में संपूर्ण बिहार राज्य में भी लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(बन्दना प्रेयषी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- पर्या०/वन-33/2018(खंड) 1710/प०व०ज०प० 15, दिनांक- 11/11/25

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को (सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ।

2. इसकी 200 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

(बन्दना प्रेयषी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- पर्या०/वन-33/2018(खंड) 1710/प०व०ज०प० 15, दिनांक- 11/11/25

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार/मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार; अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

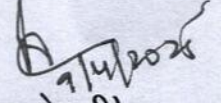
(बन्दना प्रेयषी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- पर्या०/वन-33/2018(खंड) 1410/प०व०ज०प०

15, दिनांक- 11/5/25

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार,
पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(बन्दना प्रेयशी)
सरकार के सचिव